

प्रेस नोट थाना शाहर जनपद गोरखपुर दिनांक 24.09.2024

धोखाधड़ी का अपराध कारित करने के आरोप में 01 नफर वांछित अभियुक्त गिरफ्तार

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक जनपद गोरखपुर द्वारा धोखाधड़ी से संबंधित अपराधों पर अंकुश लगाने एवं अपराधियों की गिरफ्तारी हेतु चलाये जा रहे अभियान के क्रम में, पुलिस अधीक्षक नगर के मार्गदर्शन में, क्षेत्राधिकारी गोरखनाथ के पर्यवेक्षण में व प्रभारी निरीक्षक शाहपुर के नेतृत्व में उ0नि0 अभय पाण्डेय मय पुलिस टीम द्वारा थाना स्थानीय पर पंजीकृत मु0अ0स0 309/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 भा0द0वि0 व मु0अ0स0 308/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 भा0द0वि0 से संबंधित वांछित अभियुक्त कुन्दन गुप्ता पुत्र नन्द प्रसाद गुप्ता निवासी जंगल मातादीन शिवपुर सहबाजगंज दाल मील के पीछे पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को गिरफ्तार किया गया। अग्रिम विधिक कार्यवाही की जा रही है।

घटना का संक्षिप्त विवरण-

वादी व वादिनी मुकदमा द्वारा थाना स्थानीय पर प्रार्थना पत्र दिया गया कि कुंदन गुप्ता पुत्र नन्दप्रसाद गुप्ता द्वारा अपने आवास म0नं0-24 आई जंगल मातादीन पादरी बाजार शिवपुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर को आरकेआर करे इण्डिया निधि लि0 का पंजीकृत कार्यालय बताते हुए स्वयं तथा रिंकी गौतम व रीना गोस्वामी को आरकेआर करे इण्डिया का निदेशक बताते हुए उक्त कम्पनी में पैसा निवेश किये जाने की दशा में मात्र 15 माह के जमा/निवेश की गई धनराशि को दुगुना कर देने की गारण्टी दी गई कि आप द्वारा जमा किये गये रूपयों को शेयर ट्रेडिंग, जमीन व गोल्ड में निवेश कर मात्र 15 माह में उक्त धनराशि दुगुना करके मिल जायेगी। जिसके पश्चात् वादी द्वारा दिनांक 14.12.2020 को 6,00,000/- (छः लाख रूपये) उपरोक्त आरकेआर करे इण्डिया निधि लि0 में दिनांक 14.03.2022 तक के लिए निवेश/जमा किया गया, जिसके पश्चात् कुंदन गुप्ता उपरोक्त व अन्य निदेशकों द्वारा 12,00,000/- (बारह लाख रूपये) परिपक्वता/धनराशि का एक बाण्ड वादी को दिया गया। इसी प्रकार वादी की पत्नी से 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपये) दिनांक 24.03.2020 को जमा कराते हुए दिनांक 24.06.2021 को 3,00,000/- (तीन लाख रूपये) का परिपक्वता बाण्ड तथा दिनांक 12.01.2021 को एक अन्य महिला से 50,000/- (पचास हजार रूपये) लेकर एक एफडी बाण्ड दिनांक 12.01.2021 को जारी कर परिपक्वता तिथि दिनांक 12.01.2022 को 86,000/- (छियासी हजार रूपये) परिपक्वता धनराशि व 24,000/- (चौबीस हजार रूपये) एक्सट्रा बोनस दिये जाने हेतु कहते हुए अन्य कई लोगों से करोड़ों रूपये जमा करा लिया गया। इसी प्रकार वादिनी मुकदमा द्वारा दिनांक 04.02.2020 को 35000 रू0 12 माह के लिए निवेश किया गया और कम्पनी के अभिकर्ता नन्द प्रसाद गुप्ता व निर्देशक कुन्दन गुप्ता द्वारा आवेदिका को

परिपक्वता तिथि दिनांक 04.02.2021 को 50000/- रुपये का एक परिपक्वता बाण्ड भी दिया गया। नगद 500000/- (पांच लाख रुपये) 15 माह के लिए उक्त कम्पनी में निवेश कर दिया। दिनांक 13.02.2022 को परिपक्वता धनराशि 700000/ (सात लाख रुपये) एवं परिपक्वता तिथि दिनांक 30.04.2022 को धनराशि रुपये 300000/- (रुपये तीन लाख) का दिया गया। परिपक्वता समयावधिक पूर्ण होने पर जब वादिनी मुकदमा नन्द प्रसाद गुप्ता के पास गयी तो परिपक्वता बाण्ड की मूल प्रति जमा करा लिया एवं दिनांक 11.03.2021 को वादिनी के खाते में कुन्दन गुप्ता के खाते से 50000 /- रुपये का भुगतान भी करवा दिया और विश्वास दिलाते हुए कहा कि अन्य निवेश के जो मूल्य परिपक्वता बाण्ड आपके पास है, हमारे पास जमा कर दीजिए सभी भुगतान समय से आपके खाते में चले जायेंगे। नन्द प्रसाद गुप्ता के कहने पर वादिनी मुकदमा ने शेष दोनों परिपक्वता बाण्ड क्रमशः 700000 /- (सात लाख रुपये) व 300000 /- रुपये (तीन लाख रुपये) अभिकर्ता के पास जमा कर दिये। परिपक्वता तिथि पर पैसे खाते में नहीं आया। उक्त धोखाधड़ी के सम्बन्ध में वादी व वादिनी मुकदमा द्वारा दिये गये पार्थना पत्र के आधार पर थाना स्थानीय पर मुकदमा उपरोक्त पंजीकृत किया गया है।

गिरफ्तार अभियुक्त का नाम पता-

कुन्दन गुप्ता पुत्र नन्द प्रसाद गुप्ता निवासी जंगल मातादीन शिवपुर सहबाजगंज दाल मील के पीछे पादरी बाजार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी के अभियोग का विवरण-

1. मु0अ0स0 308/2024 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 भा0द0वि0 थाना शाहपुर गोरखपुर
2. मु0अ0स0 309/24 धारा 419, 420, 467, 468, 471, 406 भा0द0वि0 थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर

गिरफ्तारी की टीम-

1. श्री नीरज कुमार राय प्रभारी निरीक्षक थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
2. उ0नि0 अभय पाण्डेय चौकी प्रभारी मोहनापुर थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।
3. हे0का0 अनिल कुमार थाना शाहपुर जनपद गोरखपुर।